(4)

संख्या-546/XXVIII-3-2010-437/2002टी0सी0 (14)

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 03 अगस्त ~~जुलाई~~, 2010

विषय: उत्तराखण्ड के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04.09.2006 के प्रस्तर-4(ii) में निहित व्यवस्थानुसार विभिन्न प्रशासकीय विभागों से परामर्श हेतु संदर्भित प्रकरणों के परीक्षण आदि में प्राय: यह दृष्टिगत् हो रहा है कि आपातकालीन स्थिति में समयाभाव के कारण बिना पूर्वानुमति के कराये गये उपचार के मामलों में उपचार मुक्त होने के 30 दिन के अन्दर उपचार प्रदान करने वाली संस्था का आकस्मिकता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराया जा रहा है तथा इस पर छूट प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

2. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 04.09.2006 के प्रस्तर-4(ii) में आकस्मिकता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा को 30 दिन के स्थान पर 60 दिन किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: शासनादेश दिनांक 04.09.2006 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा इसकी शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

(5)

(13)

पृ0संख्या- (1)/XXVIII-3-2010-437/2002टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल/कुमाऊँ मण्डल, पौडी/नैनीताल।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधीक्षक/अधीक्षक, जिला/बेस/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।